FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ......जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर...... मुकाम ......बाड़मेर......

......प्राधिकृत अधिकारी, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा बाड़मेर...... बनाम ......श्रीमती विरमा व अन्य......

किस्म मुकदमा ...... नं. ...... सन् ...06/...2025.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 SARFAESI अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-02-25	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र धारा 14 SARFAESI अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण श्रीमती भगवती पत्नी नारायणदास व श्री हितेश कुमार पुत्र नारायणदास के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कल्याण सहाय कुमावत द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया हैं किन्तु इस पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। इसके अलावा न तो न्यायालय शुल्क चस्पा किया हैं और न ही राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम, 1987 की धारा 20(1) व 21 के तहत वेलफेयर स्टाम्प भी चस्पा नहीं किया गया है, ऐसे में रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के परिपत्र दिनांक 05.01.2023 एवं सचिव, बार काउंसिल राजस्थान के पत्र दिनांक 23.04.2024 के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी का अभिभाषक पत्र मान्य नहीं हैं। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रशान्त शर्मा को बैंक की ओर से यह कार्यवाही प्रस्तुत करने का कोई अधिकार–पत्र प्रस्तुत नहीं किया हैं और न ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रार्थी बैंक को वित्तीय संस्था के रूप में पंजीबद्ध किये जाने का गजट नोटिफिकेशन प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी अपूर्ण दस्तावेजों के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पत्र क्रमांक 1390 दिनांक 12.12.2024 के आवश्यक कमी–पूर्ति हेतु लौटाये गये थे, इसके बावजूद यह प्रकरण डाक वाहक के साथ पुनः अपूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो विचार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हों। जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:51:15 IST
Reason: SelfAttested